कार्यालय प्राचार्य, इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा (छ0ग0)

शासकीय पॉलीटेक्निक परिसर, रूमगरा, कोरबा – 495 684

फोन नं. 07759–217435, 094241–44099 फैक्स नं. 07759–228605

E-mail: korbait@rediffmail.com, Website: www.itkorba.com

क्रमांक/आई.टी.के./लेखा/2011/ *कोरबा, दिनांक* /03/2011

सूचना

आई.टी.कोरबा में अध्ययनरत् समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालयीन एवं विष्वविद्यालयीन शुल्क भुगतान हेतु तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार निर्देषों का पालन करना सुनिष्चित करें:–

1. राषि जमा करने हेतु प्रत्येक छात्र/छात्राओं द्वारा स्वयं चालान फार्म भराना सुनिष्चित करें। चालान फार्म की प्रारूप साथ में संलग्न है। संबंधित चालान फार्म महाविद्यालय के वेबसाइट से प्राप्त करना सुनिष्चित करें।
2. संबंधित चालान दो प्रारूप में तैयार किया गया है, एक – केवल महाविद्यालयीन शुल्क भुगतान हेतु, दो – केवल विष्वविद्यालयीन शुल्क भुगतान हेतु।
3. प्रवेष, परीक्षा, नामांकन आदि फार्म भराये जाने के पूर्व प्रवेष प्रभारी, परीक्षा प्रभारी, खेलकूद प्रभारी एवं अन्य संबंधित शुल्क (विलंब शुल्क सहित) की पर्याप्त जानकारी महाविद्यालय के वेबसाइट अथवा सूचना पटल पर देखी जा सकती है। विस्तृत जानकारी हेतु छात्रलिपिक से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
4. विद्यार्थियों द्वारा प्रवेष आवेदन फार्म, परीक्षा आवेदन फार्म, नामांकन फार्म आदि भरने हेतु संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/कक्षाचार्य से अपने–अपने आवेदन फार्म अग्रेषित कराना एवं उसी समय विभागाध्यक्ष/कक्षाचार्य द्वारा ही चालान फार्म की चारों प्रति पर भी पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर/अग्रेषित करावें।
5. चालान फार्म अग्रेषित कराने के पष्चात् छात्र/छात्रा राषि बैंक में अथवा महाविद्यालय में उपस्थित होने पर बैंक कर्मचारी के पास जमा करें।
6. चालान की चार प्रति में से दो प्रति बैंक अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं बैंक द्वारा दो प्रति तत्काल संबंधित छात्र/छात्रा को जमा पावती के रूप में वापस करेंगे।
7. विद्यार्थियोंयह भी ध्यान रखें कि वे बैंक से प्राप्त चालान की दो प्रति में से एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें एवं दूसरी प्रति संबंधित प्रवेष, परीक्षा आदि आवेदन फार्म के साथ छात्रषाखा में अनिवार्य रूप से जमा करें।

कृपया समस्त छात्र/छात्रा सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु टीप लें।

प्राचार्य,
इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी,
कोरबा (छ0ग0)

प्रतिलिपि :–

1. डीन अकादमिक।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / विभाग प्रभारी।
3. समस्त कक्षा षिक्षक कक्षा में छात्र / छात्राओं को सूचित करें एवं उक्तानुसार चालान फार्म भरने एवं जमा करने हेतु निर्देषित करें।

आई.टी. कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

प्राचार्य,
इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी,
कोरबा (छ0ग0)